नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच(64). — छतीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा, उन व्यक्तियों को, जो केवल कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय करने में लगे हैं, जिन पर कुल कर, ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किए जाने का दायी है, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त है ।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच(64), दिनांक 21-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 21st June 2017

NOTIFICATION

No. F-10- 40/2017/CT/V (64). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government hereby specifies the persons who are only engaged in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.